संख्या-30/2017/804/59-2-2017-16(खा)/2009

प्रेषक,

सुरेश चन्द्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 03 नवम्बर, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत उत्पाद विकास मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय योजना (सामान्य) हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्र संख्या-449/खा0ग्रा0बो0/गु0नि0प्र0/2017-18, दिनांक 25.09.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में उत्पाद विकास मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय योजना (अनुदान संख्या-5) हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 17,50,000.00 (रूपये सत्रह लाख पचास हजार मात्र) के सापेक्ष रू0 7,00,000.00 (रूपये सात लाख मात्र) की धनराशि शासनादेश संख्या-18/2017/423/59-2-2017-16(खा)/2009, दिनांक 21 जुलाई, 2017 (प/A) द्वारा निर्गत की गयी है तथा अवशेष धनराशि रू0 10.50 लाख (रूपये दस लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न फॉट के अनुसार निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग के निवर्तन पर रखने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृति धनराशि व्यय करते समय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- व्यय की तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक सत्र में प्रवक्ता सहित समस्त प्रशिक्षार्थियों के प्रतिदिन के प्रशिक्षण का डिजिटल फोटोग्राफ, जिसमें समय एवं तिथि अंकित हो खिचवाकर संरक्षित किया जायेगा। साथ ही प्रशिक्षार्थियों के मोबाइल नम्बर एवं आधार नम्बर भी उल्लिखित किये जायेंगे।

5- कार्मिक विभाग प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ के शासनादेश संख्या-1/1/2010-का-प्रसको.-2014, दिनांक 03 सितम्बर, 2014 के अनुसार प्रशिक्षण हेतु विशेषज्ञों/अतिथि वार्ताकारों/अन्य हेतु जो दरें निर्धारित है, उन्ही का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में महालेखाकार (लेखा परीक्षा) (प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन का उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही व्यय की गयी धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-08 में वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 को उपलब्ध कराया जायेगा।

7- उक्त धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी जिस हेतु स्वीकृत की जा रही है।

8- उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) (प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद व उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्ट्रोलर एण्ड आडीटर जनरल भारत सरकार या उनके द्वारा मनोनीत किसी अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए भी उपलब्ध रहेगा।

9- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-5 के लेखा शीर्ष "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-105-खादी ग्रामोद्योग-25-उत्पाद विकास, मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय-42-अन्य" व्यय के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामें डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017, में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-30/2017/804(1)/59-2-2017-16(खा)/2009 तददिनांकित</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/,द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/,द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0, 125, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
9- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
10- एन0आई0सी0/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्र)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-30/2017/804/59-2-2017-16(खा)/2009, दिनांक 03 नवम्बर, 2017 का संलग्नक

उत्पाद विकास मानकीकरण योजना की बजट फॅाट

क्र0	मद विवरण	अनुमानित व्यय धनराशि (लाख रूपये में)
1	**2**	**3**
1	मानकीकरण/गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण	3.50
2	पॉच दिवसीय गुणवता नियंत्रण में टेक्निकल ट्रेनिंग	4.00
3	प्रौद्यौगिकी हस्तान्तरण कार्यशाला	2.00
4	उत्पाद विकास मानकीकरण जागरूकता शिविर	1.00
	योग	**10.50**

(रूपये दस लाख पचास हजार मात्र)

(सुरेश चन्द्र)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।